FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

नाम अदालत **जिला कलक्टर, अलवर** मुकाम **अलवर**

उनवान **सरकार बनाम तौफिक**

किस्म मुकदमा **प्रा0पत्र वास्ते सुपुर्दगी आर.बी.एक्ट** नम्बर **15/264/2022 दा0दि0** 18.10.2022

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07.11.2022	पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी महबूब पुत्र रोशन जरिये अधिवक्ता पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी का वाहन टैम्पो रजि0 सं0 आर.जे. 32 जी.बी. 0633 धारा 5, 6, 8, आर.बी. एक्ट के तहत थानाधिकारी पुलिस थाना तिजारा द्वारा जप्त किया गया है। जिसे सुपुर्दगी पर प्रार्थी को दिये जाने के आदेश फरमावें। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर थानाधिकारी पुलिस थाना तिजारा से रिपोर्ट तलब की गई। थानाधिकारी ने अपने पत्रांक 4951 दिनांक 03.11.2022 के द्वारा रिपोर्ट में निवेदन किया कि मुकदमा हाजा में जप्त शुदा वाहन टैम्पो फॉरव्हीलर रजि0 सं0 आर.जे. 32 जी.बी. 0633 को सुपुर्दगी पर दिया जाता है, तो मुकामी पुलिस को कोई एतराज नहीं है। हमने पत्रावली का अवलोकन किया व वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया। जप्तशुदा वाहन टैम्पो फॉरव्हीलर रजि0 सं0 आर.जे. 32 जी.बी. 0633 को सुपुर्दगी हेतु प्रार्थी यदि 1,00,000/– (एक लाख रूपये मात्र/–) तस्दीक शुदा जमानतनामा व सुपुर्दनामा पेश करें, तो प्रार्थी को उक्त वाहन इन शर्तो पर सुपुर्दगी पर दिये जाने के आदेश दिये जाते है। 1. प्रार्थी वाहन को खुर्द–बुर्द नहीं करेगा। 2. न्यायालय को जब भी उक्त वाहन की आवश्यकता होगी वाहन को न्यायालय में पेश करेगा। पत्रावली वास्ते पेश करने जमानतनामा व सुपुर्दनामा दिनांक 14.11.2022 को पेश हों। जिला कलक्टर अलवर 14/11/22 पत्रावली पेश हुई। ... आरसी/अधि0 उप0/ अनु0 पीठासीन अधिकारी ... राजकार्य में व्यस्त हैं। पत्राव... दिनांक............ को ... हो। 17/11/22 रीडर	

14/11/22

वकील प्रार्थी के निर्देश [illegible] प्रतिपत्र पेश हुआ। वकील [illegible] ने निर्धारित मालिक से [illegible] मुताबिक पेश किये जो [illegible] गई और पत्रावली देखी। S.H.O. तिजारा को बाद [illegible] अहकाम जारी हो। पत्रावली [illegible] मुताबिक [illegible] बाद [illegible] पेश [illegible] हो।

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)